



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

06 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 243 राँची, शनिवार,

27 मार्च, 2021 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

निदेश

25 मार्च, 2021/4 चैत्र, 1943 (शक)

संख्या--576/3/ईवीएम/2021/एसडीआर/खण्ड-II:- यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह प्रावधान किया गया है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए; और

3. यतः निर्वाचन आयोग के द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./17/2021 एवं दिनांक 16 मार्च, 2021 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./28/2021 के तहत घोषित केरल में 6-मालापुरम् संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू में 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आंध्रपदेश में 23-तिरुपति(अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में 125-मोरवा हडफ (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 13-मधुपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 47-बासवकल्याण एवं 59-मास्की (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, मध्यप्रदेश में 55-दमोह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में 252-पंढरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मिजोरम में 26-सेरछिप (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड में 51-नोकसेन(अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा में 110-पिपिली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान

में 179-सहाड़ा, 24-सुजानगढ़ (अ.जा.), एवं 175-राजसमन्द विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, तेलंगाणा में 87-नागार्जुन सागर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तराखण्ड में 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, की परिस्थितियों पर विचार किया है, और आयोग संतुष्ट है कि उपरोक्त संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों(ई वी एम) एवं वीवीपैट प्रिंटर्स की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा दिनांक 12.03.2021 एवं 23.03.2021 को अधिसूचित चालू उप निर्वाचनों में केरल में 6-मालापुरम् संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू में 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आंध्रपदेश में 23-तिरुपति(अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में 125-मोरवा हडफ (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 13-मधुपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 47-बासवकल्याण एवं 59-मास्की (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, मध्यप्रदेश में 55-दमोह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में 252-पंढरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मिजोरम में 26-सेरछिप (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड में 51-नोकसेन(अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा में 110-पिपिली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 179-सहाड़ा, 24-सुजानगढ़ (अ.जा.), एवं 175-राजसमन्द विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, तेलंगाणा में 87-नागार्जुन सागर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तराखण्ड में 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जहां निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन तथा इस विषय में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटर्स, जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और रिकॉर्ड करने के लिए उपर्युक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,

एन०टी०भूटिया,
सचिव,

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रवि कुमार,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव,

ELECTION COMMISSION OF INDIA**DIRECTION****25th March, 2021/4 Chaitra, 1943 (Saka)**

No.576/3/EVM/2021/SDR-Vol.II:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in **6-Malappuram Parliamentary Constituency of Kerala, 39-Kanniyakumari Parliamentary Constituency of Tamil Nadu, 23-Tirupati(SC) Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh & 2-Belgaum Parliamentary Constituency of Karnataka, 125-Morva Hadaf(ST) Assembly Constituency of Gujarat, 13-Madhupur Assembly Constituency of Jharkhand, 47-Basavakalyan & 59-Maski(ST) Assembly Constituencies of Karnataka, 55-Damoh Assembly Constituency of Madhya Pradesh, 252-Pandharpur Assembly Constituency of Maharashtra, 26-Serchhip(ST) Assembly Constituency of Mizoram, 51-Noksen(ST) Assembly Constituency of Nagaland, 110-Pipili Assembly Constituency of Odisha, 179-Sahara, 24-Sujangarh(SC) & 175-Rajsamand Assembly Constituencies of Rajasthan, 87-Nagarjuna Sagar Assembly Constituency of Telangana and 49-Salt Assembly Constituency of Uttarakhand, announced vide the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/17/2021 dated 26th February, 2021 and No. ECI/PN/28/2021 dated 16th March, 2021, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT)] are available for taking the poll in above mentioned Parliamentary and Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;**

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies **6-Malappuram Parliamentary Constituency of Kerala, 39-Kanniyakumari Parliamentary Constituency of Tamil Nadu, 23-Tirupati(SC) Parliamentary**

Constituency of Andhra Pradesh & 2-Belgaum Parliamentary Constituency of Karnataka, 125-Morva Hadaf(ST) Assembly Constituency of Gujarat, 13-Madhupur Assembly Constituency of Jharkhand, 47-Basavakalyan & 59-Maski(ST) Assembly Constituencies of Karnataka, 55-Damoh Assembly Constituency of Madhya Pradesh, 252-Pandharpur Assembly Constituency of Maharashtra, 26-Serchhip(ST) Assembly Constituency of Mizoram, 51-Noksen(ST) Assembly Constituency of Nagaland, 110-Pipili Assembly Constituency of Odisha, 179-Sahara, 24-Sujangarh(SC) & 175-Rajsamand Assembly Constituencies of Rajasthan, 87-Nagarjuna Sagar Assembly Constituency of Telangana and 49-Salt Assembly Constituency of Uttarakhand, notified on 12-03-2021 & 23-03-2021, as the constituencies in which the votes, shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of the EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

By Order,

N.T.BHUTIA,
SECRETARY,
